# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :– सुरेन्द्र सिंह खंगारोत, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्याः– 194 / 2025

प्रार्थी::–

जगमालाराम पुत्र वेहनाराम जाति सुथार निवासी दूदो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा

**–::बनाम::–**

विप्रार्थीगण::–

1. उदयसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपुरोहित निवासी दूदो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
2. कोमल पुत्री अमरसिंह जाति राजपुरोहित निवासी दूदो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
3. खेतसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपुरोहित निवासी दूदो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
4. चन्दनसिंह पुत्र मांगीलाल जाति राजपुरोहित निवासी दूदो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
5. जगदीश सिंह पुत्र मांगीलाल जाति राजपुरोहित निवासी दूदो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
6. जर्मनसिंह पुत्र शिवाजी जाति राजपुरोहित निवासी दूदो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
7. जोगसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपुरोहित निवासी दूदो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
8. जोरसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपुरोहित निवासी दूदो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
9. डुंगरसिह पुत्र अमरसिंह जाति राजपुरोहित निवासी दूदो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
10. दुर्गाकंवर पत्नी अमरसिंह जाति राजपुरोहित निवासी दूदो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
11. देवीमानसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपुरोहित निवासी दूदो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
12. धनसिंह पुत्र शिवाजी जाति राजपुरोहित निवासी दूदो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
13. पवनकंवर पत्नी भोपालसिंह जाति राजपुरोहित निवासी दूदो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
14. बाबूसिंह पुत्र नैनसिंह जाति राजपुरोहित निवासी दूदो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

15. भैरसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपुरोहित निवासी दूदो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
16. भंवरसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपुरोहित निवासी दूदो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
17. भवानीसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपुरोहित निवासी दूदो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
18. मोहनसिंह पुत्र शिवाजी जाति राजपुरोहित निवासी दूदो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
19. रविना कंवर पुत्री अमरसिंह जाति राजपुरोहित निवासी दूदो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
20. रामसिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपुरोहित निवासी दूदो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
21. विजयसिह पुत्र कानसिंह जाति राजपुरोहित निवासी दूदो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
22. विशनसिंह पुत्र मांगीलाल जाति राजपुरोहित निवासी दूदो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
23. शैतानसिंह पुत्र मांगीलाल जाति राजपुरोहित निवासी दूदो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
24. श्रवणसिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपुरोहित निवासी दूदो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
25. सरिता पुत्री भोपालसिंह जाति राजपुरोहित निवासी दूदो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
26. सुआ पत्नी कानसिंह जाति राजपुरोहित निवासी दूदो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
27. हनुमानसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति राजपुरोहित निवासी दूदो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
28. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया कृषि विकास शाखा –सिवाना तहसील सिवाना जिला बालोतरा
29. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–

1. श्री ललित जांगिड़ वकील प्रार्थी
2. श्री दिलीपसिंह भाटी व लादाराम परमार विप्रार्थी संख्या 1,6,7,12,15,16,24 व 27
3. विप्रार्थी संख्या 2 से 5,8 से 11व 13,14,17,19 से 23, 25 व 26 अनुपस्थित।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

## आदेश

दिनांकः— 03.06.2026

यह आवेदन प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी उदयसिंह वगैरा के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क के तहत पेश किया गया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख.सं. 132 रकबा 12.0515 हैक्टेयर भूमि ग्राम दुदो का बाडा तहसील समदडी में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थी बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। उक्त खसरे की बदिशा दक्षिणी माठ की ओर विप्रार्थी संख्या 1 से 27 की खातेदारी भूमि ख.स. 374/133 रकबा 30.699 हैक्टयर की दक्षिणी माठ से होते हुए खेजडियाली जाने वाली मुख्य सडक से जुडता है। विप्रार्थीगण के खातेदारी भूमि की बदिश दक्षिणी माठ पर वर्तमान रास्त चालू है जहां से प्रार्थी का आवागमन चालू है। प्रार्थी को अपने खेत से आवागमन हेतु, जो आवेदन के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट (अ) में बरंग लाल से दर्शाया गया है, विप्रार्थी सं. 1 से 27 के उक्त खेत में से प्रचलित कदीमी रास्ते से गुजरना पड़ता है, जो कि प्रार्थी के आवागमन का इकलौता विकल्प है और उसी रास्ते से प्रार्थी बरसात के मौसम में कृषि संयत्र लाता ले जाता है। विप्रार्थी संख्या 1 से 27 रास्ता अपनी खातेदारी में अवस्थित होने के कारण प्रार्थी के आवागमन में व्यवधान पैदा करते हैं, अतः प्रार्थी ने उक्त रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गैरमुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करवाने तथा तदनुसार लट्ठा नक्शा में तरमीम करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है तथा प्रभावित भूमि के बदले विप्रार्थी संख्या 1 से 27 को प्रभावित भूमि के एवज में भूमि देने में अपनी सहमति व्यक्त की।

आवेदन पंजीयन कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थी संख्या 2 से 5, 8 से 11 13,14, 17, 19 से 23, 25 व 26 के विरूद्व बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। विप्रार्थी संख्या 1,6, 7,12, 15, 16,24 व 27 की ओर से वकील उपस्थित।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

वकील प्रार्थी ने अपने आवेदन के समर्थन में अपनी खातेदारी भूमि एवं उससे लगती विप्रार्थी सं. 1 से 27 की खातेदारी भूमि की जमाबंदी एवं प्रस्तावित रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

दर्शाये हुए नजरी नक्शा प्रस्तुत किया तथा तहसीलदार समदडी से आवेदन के तथ्यों के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी की बहस है कि प्रार्थी की मौजा दूदो का बाडा तहसील समदडी अवस्थित खातेदारी भूमि ख.सं. 132 में आवागमन हेतु प्रार्थी के खेत के बदिशा दक्षिण में अवस्थित विप्रार्थी संख्या 1 से 27 की खातेदारी भूमि ख.सं. 374/133 के दक्षिणी माठ से होते हुए खेजडियाली जाने वाली मुख्य सडक से जुडता है उक्त प्रचलित रास्ता ही इकलौता, निकटतम एवं सुगम मार्ग है, जिससे प्रार्थी का परिवार पीढ़ियों से आवागमन करता आ रहा है। उक्त रास्ते की प्रार्थी को आत्यंतिक आवश्यकता है। अतः तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाए बरंग हरा बिन्दू संख्या ए से बी को रास्ते घोषित कर, सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज की जावे। प्रार्थी रास्ते में प्रभावित भूमि के बदले क्षतिपूर्ति के रूप में भूमि विप्रार्थीगण सं. 1 से 27 को देने हेतु सहमत है।

विप्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है प्रार्थी अपने खातेदारी भूमि खसरा संख्या 132 में खसरा संख्या 368/120 व खसरा संख्या 513/121 की उतरी माठ वे विप्रार्थीगण के दक्षिणी माठ के सहारे सहारे पगडण्डी के द्वारा आवागमन करता है खसरा संख्या 513/121 के खातेदार मोहनराम द्वारा प्रार्थी द्वारा उपयोग में ली रही भूमि के एवज में भूमि दिये जाने के चाहने पर प्रार्थी द्वारा उपयोग में ली रही भूमि के एवज में भूमि देने से इन्कार किया जाने से खसरा संख्या 513/121 के खातेदार मोहनराम द्वारा उक्त रास्ता बंद कर देने के कारण प्रार्थी द्वारा नया रास्ता कायम करने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय श्री में पेश किया गया जो विधि विरूद्ध होने से काबिल खारिज के है प्रार्थी की नजदीकी रास्ता भी खसरा संख्या 513/121 व खसरा संख्या 368/120 की उतरी माठ पर आवागमन हेतु सुविधा उपलब्ध है इसलिए प्रार्थी अपनी सुविधा के अनुसार कायम नहीं कर सकता है प्रार्थी ने हठधर्मिता से अपना निर्धारित रास्ता छोड कर विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दक्षिणी सेडे पर नया रास्ता कायम करना चाहते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ सिवाना (बालोतरा) ★

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

है जो विधि विरूद्ध है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के आधार पर अस्वीकार किया जाकर खारिज फरमाया जावे।

हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। रा.का.अ. अधिनियम की धारा 251 क के धारा (ख) के बिन्दू (ii) के अनुसार अन्य खातेदार की जोत से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया हो तो उक्त धारा के अन्तर्गत प्रार्थी को रास्ता प्रदान किया जा सकता है। तहसीलदार समदडी ने रिपोर्ट में अंकन किया है कि प्रार्थी को खातेदारी के खेत से कटाण मार्ग तक पहुँच तक विप्रार्थी संख्या 1 से 27 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 374/133 मे से रास्ता हेतु 80 X 3 गट्ठा = 240 गटठा अर्थात 0.0974 हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता रहेगी विप्रार्थी द्वारा जवाब में अंकित वैकल्पिक खसरा संख्या 368/120 में से रास्ता हेतु 2 X 3 गट्ठा 6 गटठा अर्थात 0.0024 हैक्टेयर खसरा संख्या 517/121 में से रास्ता हेतु 1 X 3 गट्ठा 3 गटठा अर्थात 0.0012 हैक्टेयर व खसरा संख्या 513 X 121 मे से रास्ता हेतु 72 X 3 गट्ठा 216 गटठा अर्थात 0.0874 हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता रहेगी। प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्त की भूमि का रकबा 00974 हैक्टेयर है तथा वैकल्पिक रास्ते की दूरी 0.0910 हैक्टेयर भूमि है विप्रार्थी द्वारा बताये गये वैकल्पिक रास्ते व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ते की भूमि में ज्यादा अंतर नहीं है। तहसीलदार समदडी ने रिपोर्ट में जिस वैकल्पिक रास्ते 129 व 131 का अंकन किया है उसका रकबा का उल्लेख नहीं किया है तथा उसकी दूरी भी अधिक प्रतीत होती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधानानुसार इस अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदन संक्षिप्त प्रक्रिया का है जिसका निस्तारण के लिए समय सीमा निर्धारित है यदि वैकल्पिक रास्ते के खातेदारो को पक्षकार संयोजित किया जाता है तो प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक समय लगेगा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दूदो का बाडा तहसील समदडी की 132 रकबा 12.0515 हैक्टेयर भूमि आवागमन हेतु विप्रार्थी संख्या 1 से 27

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 374 / 133 रकबा 30.6969 हैक्टेयर में से 80 गट्टा लम्बाई तथा 3 गटटा चौडाई कुल 240 गट्टा अर्थात 0.0974 हैक्टेयर भूमि तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शे में बरंग हरा से दर्शित भूमि पर रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है प्रार्थी द्वारा प्रभावित भूमि के प्रतिकार के रूप में विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग ग्रुप–2 द्वारा 5 सितम्बर 2023 को जारी अधिसूचना अनुसार 0.0974 हैक्टेयर भूमि विप्रार्थी संख्या 1 से 27 को देय करनी होगी। रास्ते हेतु भूमि की प्रतिस्थापित के पश्चात ही तहसीलदार समदडी को राजस्व रेकर्ड में रिकॉर्ड में दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने आदेशित किया जाता है। तहसीलदार समदडी द्वारा जरिये पत्र कमांक–राजस्व / 2025 / 1018 दिनांक 04.12.2025 को प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अ रहेगा।

आदेश आज दिनांक 03.06.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

# नजरी नक्शा

मौजा - डूडों का बाड़ा
प० स० - अजीत
तहसील - समदड़ी

**संकेत**

① प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता
② कटान रास्ते से निकलता हरी का रास्ता

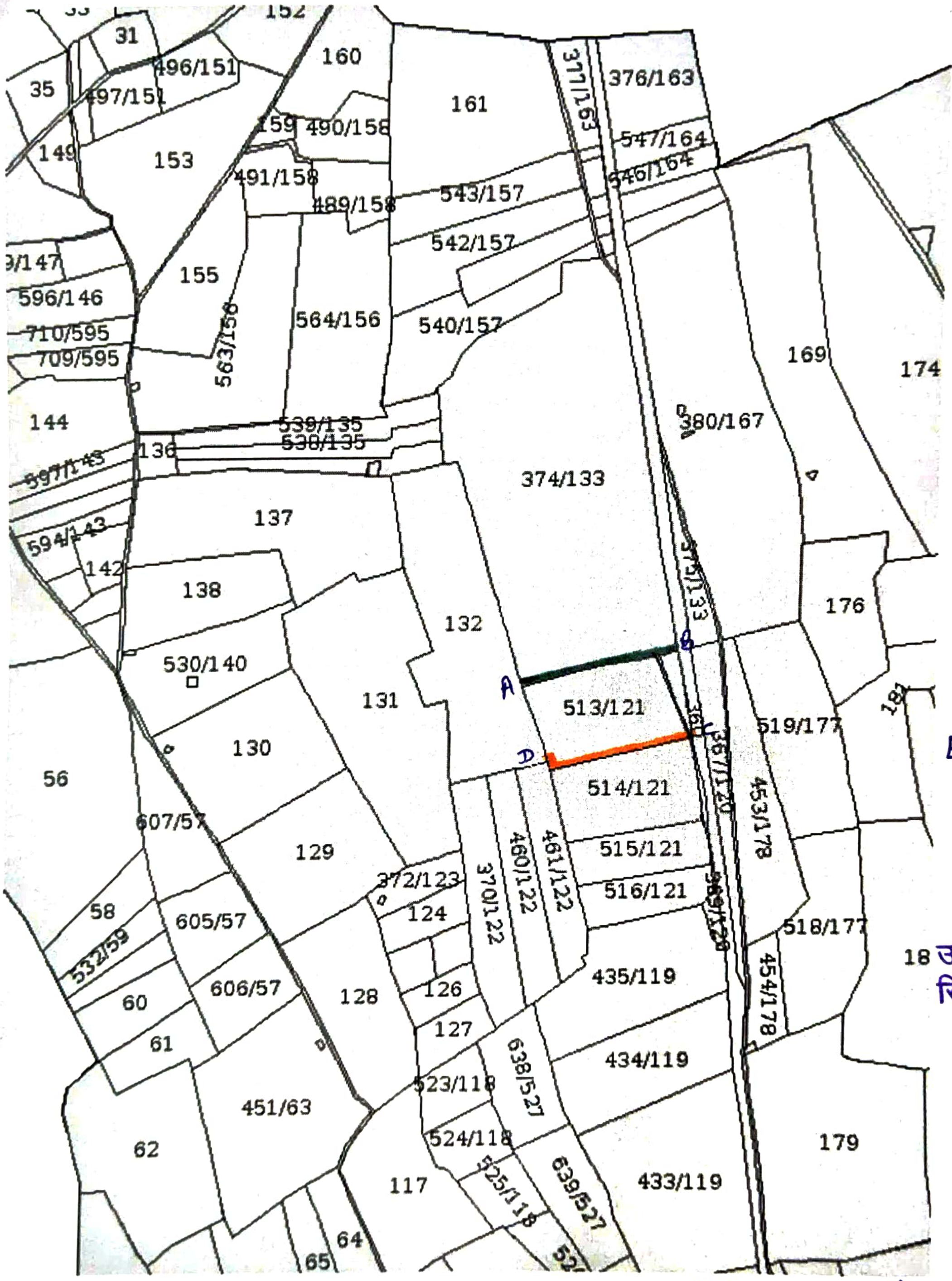


Ex-Court

18 उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

02/12/24
प. अजीत

02/12/24
ILR